राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 1792/2016/चुरु

सहायक आयुक्त,
वाणिज्यिक कर विभाग, वृत–ए, सीकर .....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स श्री हनुमान ऑयल मिल,
सुजानगढ, चुरु .....प्रत्यर्थी

क्रॉस आब्जेक्शन71 /2017/चुरु

मैसर्स श्री हनुमान ऑयल मिल,
सुजानगढ, चुरु .....अपीलार्थी.

बनाम

सहायक आयुक्त,
वाणिज्यिक कर विभाग, वृत–ए, सीकर .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री डी.पी.ओझा, ...विभाग की ओर से.
उप–राजकीय अभिभाषक
श्री सुरेश ओझा,
अभिभाषक। .....व्यवहारी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 10.08.2017

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी एवं विभाग द्वारा प्रस्तुत यह अपीलें अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, बीकानेर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित अपीलीय आदेश दिनांक 17.12.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसमें अपीलार्थी व्यवहारी ने सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, बीकानेर (जिसे आगे **"सशक्त अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 76(6) के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 23.10.2014 के जरिये कायम की गयी कर राशि रुपये 12,146/– एवं शास्ति रूपये 1,21,484/– को अपीलीय अधिकारी द्वारा पुष्टि किये जाने को अधिनियम की धारा 83 के तहत विवादित किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि जांच अधिकारी द्वारा मूंगफली परिवहनित करते हुये चैक किया गया। वाहन में लदे माल सम्बन्धित दस्तावेज वाहन चालक/माल प्रभारी से मांगे जाने पर वांछित दस्तावेज (बिल, गेटपास, निर्यात प्रतिवेदन संख्या) प्रस्तुत किये गये, प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच की गई, माल के साथ संलग्न बिल की जांच किये जाने पर क्रेता व्यवहारी के टिन नं. बिल में अंकित होना नहीं पाया गया। इस कारण से संव्यवहार के संदिग्ध प्रतीत होने के धारा 76(2)(b) के उल्लंघन में करापवंचन का अभियोग दर्ज किया गया। करापवंचन का वाद दर्ज करने के पश्चात प्रकरण नियमानुसार सशक्त अधिकारी को स्थानान्तरित किया गया। सशक्त अधिकारी ने

लगातार.....2

अपीलार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया। प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया। जवाब से असंतुष्ट होकर परिवहनित माल कीमतन राशि रुपये 4,04,947/– पर कर राशि रुपये 12,146/– एवं शास्ति रूपये 1,21,484/– सशक्त अधिकारी द्वारा टिन नंबर न लिखे होने के आधार पर परिवहनित किये जा रहे माल पर धारा 76(6) के तहत कर व शास्ति का आरोपण किया। इसके अतिरिक्त व्यवहारी द्वारा भी क्रास अपील प्रस्तुत की गई है। चूंकि दोनों ही प्रकरणों के तथ्य समान है अतः इनका निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है निर्णय की मूल प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक से रखी जा रही हैं।

3. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने उपस्थित होकर कथन किया कि वक्त निरीक्षण माल से संबंधित समस्त दस्तावेज बिल, गेटपास, निर्यात प्रतिवेदन संख्या प्रस्तुत कर दिये गये थे। माल की कीमत रूपये 4,04,947/– थी, प्रस्तुत दस्तावेजों से सत्यापित थी, किसी भी प्रकार का कोई भी बोगस या गलत या कूटरचित दस्तावेज पेश नहीं किया गया था, परन्तु सशक्त अधिकारी द्वारा यह आक्षेप लगा कर कि प्रस्तुत टिन नंबर बिल में रिक्त है, धारा 76(6) के तहत शास्ति आरोपित की है जो कि न्यायोचित नहीं है। धारा 76(6) के तहत शास्ति धारा 76(2) के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर आरोपित की जाती है, अपीलार्थी ने धारा 76(2) के तहत वांछित समस्त दस्तावेज, घोषणा पत्र, वक्त जांच प्रस्तुत कर दिये थे। सशक्त अधिकारी ने शास्ति आरोपण से पूर्व क्रेता व विक्रेता व्यवहारी की जांच नहीं की थी जगकि उनके समक्ष क्रेता व विक्रेता के नाम व पते टिन नं आदि स्पष्ट थे। मात्र इस आधार पर टिन नं रिक्त है, शास्ति आरोपण विधि सम्मत नहीं है, लिपीकीय भूल हो सकती है और इस भूल को तकनीकी भूल माना जाकर प्रस्तुत दस्तावेजों की पूर्ण जांच कराई जा सकती थी, परन्तु ऐसा नहीं किया गया है और बिना किसी उचित आधार के धारा 76(6) के तहत शास्ति आरोपित की गई है, जो कि उचित नहीं है। मात्र टिन नं. संबंधी सूचना अंकित नहीं करने के आधार पर शास्ति का आरोपण अनुचित है। उपर्युक्त आधार पर अपीलार्थी व्यवहारी ने अपीलीय अधिकारी के आदेश को यथावत रखते हुए विभाग की अपील अस्वीकार करने का निवेदन किया।

5. विद्वान उपराजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण अधिकारी के आदेश का समर्थन करते हुए तर्क दिया कि वक्त चैकिंग प्रस्तुत बिल में क्रेता फर्म का टिन नं खाली पाया गया। अतः उन्होंने विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया, प्रस्तुत रिकार्ड तथा न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अध्ययन किया गया। वक्त चैकिंग वाहन के साथ समस्त दस्तावेज पाये गये, जिसमें संव्यवहार की प्रकृति, परिवहनित वस्तु का नाम, मात्रा अन्य समस्त महत्वपूर्ण सूचनाऐं प्रस्तुत किये गये चूंकि दस्तावेज पूर्णतया खाली नहीं थे शास्ति आरोपण से पूर्व

लगातार.....3

सशक्त अधिकारी को उक्त प्रस्तुत दस्तावेजों को मिथ्या प्रमाणित किया जाना आवश्यक था किन्तु सशक्त अधिकारी द्वारा प्रकरण में किसी भी प्रकार की जांच किये बिना कर व शास्ति का आरोपण किया जाना अविधिक है। सशक्त अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी की करचोरी की मंशा को सिद्ध करने का प्रयास नहीं किया। अतः समस्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी की लिपिकीय भूल के कारण टिन नं. विक्रय बिल में अंकित नहीं किये गये। माल परिवहन के समय धारा 76(2) के तहत् वांछित समस्त दस्तावेज मौजूद थे, परन्तु उन्हें बोगस प्रमाणित नहीं किया गया। विक्रय बिल में क्रेता व्यवसायी के टिन नम्बर अंकित नहीं होने के कारण, आरोपित शास्ति अविधिक होने से अपास्त की जाती है।

फलतः अपीलार्थी विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है एवं व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत क्रास अपील उपरोक्त विवेचनानुसार स्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(मदन लाल मालवीय)
सदस्य